



प्रेस विज्ञप्ति

16.05.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय ने सतर्कता विभाग, ओडिशा पुलिस द्वारा पंजीकृत अनुपातहीन संपत्ति (डीए) के मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आरोपी रवींद्र नाथ प्रधान और अन्य से संबंधित 1.83 करोड़ रुपये की भूमि और भवनों के पार्सल जैसी चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने पूर्व सहायक रवींद्र नाथ प्रधान, खुर्दा जिले में तैनात कार्यकारी अभियंता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (बी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत सतर्कता विभाग, ओडिशा द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि संबंधित अवधि के दौरान, रवींद्र नाथ प्रधान और अन्य ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत संपत्ति प्राप्त करके खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को अवैध रूप से समृद्ध किया है, जो कुल मिलाकर 5.21 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, ईडी ने ओडिशा पुलिस के सतर्कता विभाग द्वारा अग्रेषित विभिन्न अन्य डीए मामलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की है। हाल ही में, ईडी 24.03.2025 को एक बिशेशन नायक, पूर्व वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा की 2.84 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने में सफल रहा। मलकानगिरी जिले के पूर्व डिप्टी कलेक्टर नारायण साहू के एक अन्य मामले में, 28.03.2025 को ईडी ने 91 लाख रुपये अनंतिम रूप से कुर्क किए हैं।

आगे की जांच चल रही है |